प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में बाल उत्पीड़न को लेकर कराए गए अध्ययन के अनुसार लगभग 60 फीसदी बालक–बालिकाओं के साथ लैंगिक हिंसा एवं राजस्थान में 51 फीसदी बच्चों के साथ शारीरिक हिंसा हुई है। एन.सी. आर.बी.(राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो) के वर्ष 2012 के आंकडों के अनुसार बच्चों के विरूद्व अपराध में राजस्थान देश में 8वें (बच्चों के विरूद्व कुल अपराध का 4.7 प्रतिशत) स्थान पर है। इस तरह की हिंसा, दुर्व्यवहार का कारण विभिन्न स्तर पर बच्चों के अधिकारों एवं उनके लिए मौजूद कानूनों के प्रति जन चेतना एवं जागरूकता का अभाव के अलावा बच्चों में उनके अधिकारों के बारे में अनभिज्ञता है। इस बुकलेट के माध्यम से सेव द चिल्ड्रन बाल शोषण के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताना चाहता है। उम्मीद है यह बातें, जानकारियाँ बाल शोषण को रोकने में मददगार होंगी।

प्रभात कुमार
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक
राजस्थान स्टेट प्रोग्राम ऑफिस
सेव द चिल्ड्रन

बच्चा कौन है

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन (यूएनसीआरसी) के अनुसार हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, बच्चा कहलाएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2000, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, बच्चा कहलाता है।

मारना अथवा मजाक उड़ाना

बच्चों के सरंक्षण के लिए बने विभिन्न कानूनों जैसे– शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2009 तथा शारीरिक दण्ड पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बनाई गई निर्देशिका और उच्चतम न्यायालय के सिद्धान्त के अनुसार किसी भी बच्चे को मारना या मानसिक प्रताड़ना देना अपराध है क्योंकि बच्चों के साथ किया गया ऐसा व्यवहार उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधक बन जाता है। हिंसात्मक आचरण से बच्चे सुधरते नहीं बल्कि बिगड़ जाते हैं या वे लड़–झगड़ कर अपना काम पूरा करने की प्रवृत्ति सीख जाते हैं। बच्चों के बेहतर विकास के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उन्हें ममता एवं प्यार के साथ सुरक्षित वातवरण मिले।

चिढ़ाना

बच्चे को चिढ़ाना एक ऐसी प्रवृत्ति है जो शायद मजाक करने वाले को खुशी या मनोरंजन महसूस करवाए, परन्तु जो बच्चा इससे ग्रसित होता है या प्रभावित होता है वह चिड़चिड़ा हो जाता है, शर्मिंदगी महसूस करता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है और वह बगावत करने पर उतर जाता है। वह बच्चा पहले की तरह प्रसन्नचित ना रहकर अवसाद ग्रस्त हो जाता है। चिढ़ाना भी बच्चे का मानसिक शोषण करना ही है। बच्चे के बेहतर विकास में ऐसा व्यवहार घातक हो सकता है।

अपने सपने पूरे करवाने हेतु दबाव डालना

प्रत्येक बच्चे में सीखने की ललक एवं नया जानने की सदैव जिज्ञासा रहती है। यदि उसकी रूचि के अनुसार उसे पढ़ने एवं कार्य करने का अवसर दिया जाए तो निश्चित ही वह सफलता को प्राप्त करेगा। माता–पिता तथा अभिभावक के सपने अथवा उनके द्वारा थोपे गए लक्ष्य में यदि उसकी रूचि ना हो तो वह कुण्ठा ग्रस्त होकर असफलता की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार का दबाव बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव डालता है एवं बच्चे को लगता है कि वह किसी लायक नहीं है, उसकी किसी को जरूरत नहीं है, कोई उससे प्यार नहीं करता। अपने बच्चे की तुलना किसी से ना करें। हर बच्चा विशेष होता है उसकी पसंद नापसंद को जानें एवं उसका साथ दें ताकि वह आगे बढ़ सके।

मजदूरी करवाना

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 23 एवं 26 में बच्चों से श्रम कार्य करवाने को संज्ञेय श्रेणी का अपराध माना गया है। बाल श्रम (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के अनुसार बच्चों से घर, दफ्तर, कारखानों अथवा कहीं भी श्रम पर लगाना कानूनन अपराध है। इस उम्र में उन्हें काम पर लगाकर ना केवल उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण होता है अपितु उनका बचपन छिन जाता है और वह शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित रहते हैं। ऐसे में बच्चा गरीबी और बीमारी में ही उलझ कर रह जाता है।

छल करना तथा मूर्ख बनाना

बच्चों के साथ किया गया व्यवहार ही उनके लिए शिक्षा एवं विकास का कार्य करता है। ऐसी परिस्थिति में यदि उन्हें छल या धोखे का सामना करना पड़े, कोई उनके विश्वास को तोड़ कर उन्हें मूर्ख बनाए तो बच्चे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं एवं गलत मार्ग पर चलना सीखते हैं।

बच्चे की बात को अनसुना करना

बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ–साथ विभिन्न विषयों पर जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है, ऐसी स्थिति में बच्चे सदैव अपने बड़ों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछा करते हैं, यह शायद बच्चों के अभिभावक या सामान्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण ना लगे एवं कई बार अभिभावक बच्चों के ऐसे प्रश्न या बातचीत को अनसुना कर देते हैं। इस तरह बच्चे की बात को अनसुना करना बच्चों के लिये उनके मानसिक विकास में बाधक होता है। हमें चाहिये कि हम बच्चों की बातों को महत्व देते हुए बड़े ही सहजभाव से उत्तर दें एवं उनके हित में लिए गए फैसले में उनकी रूचि या मत जहां तक सम्भव हो जरूर लेनी चाहिए।

अश्लील चित्र या किताब दिखाना

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 में बच्चों को अश्लील चित्र या किताब दिखाने को अपराध माना गया है तथा ऐसा करने वालों को तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा। किसी बच्चे को अश्लील साहित्य या किताब दिखाने से उसके मन–मस्तिष्क पर कुप्रभाव पड़ता है जो उसके मानसिक विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। बच्चा गलत जानकारी एवं सूचना पाकर भ्रमित भी हो सकता है।

गाली–गलोच करना

बच्चों के लिए या बच्चों के सामने अश्लील टिप्पणियाँ करना या गालियां देना अनुचित होने के साथ ही अपराध भी है। बच्चों में किसी भी शब्द को सुनकर याद रखने एवं दोहराने की आदत होती है। ऐसी अवस्था में बच्चों के सामने गंदी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे, बड़ों तथा समाज से ही सीखते हैं। बच्चे समाज का आइना होते हैं।

Save the Children

ऐसे छूना जिससे बच्चे असहज, असहाय या लज्जित महसूस करें

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में बच्चों की सुरक्षा एव लैंगिक अपराधों को रोकने का प्रयास किया गया है। जिसमें व्यक्त प्रावधानों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ना केवल छेड़छाड़ या बलात्कार अपराध है, बल्कि बच्चों को इस तरह छूना जिससे वे असहज या लज्जित महसूस करें वो भी गम्भीर अपराध है। बच्चों के साथ किया गया इस तरह का व्यवहार उनमें घृणा, ड़र को जन्म देता है, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती जाती है। बच्चों को जरूरत है कि वे ऐसी बातों या व्यवहार का स्पष्ट तौर पर विरोध करें एवं किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसके बारे में तुरंत बताएं।

आपको छूने के लिए बच्चे को मजबूर करना

बच्चे नादान होते हैं एवं उनके साथ होने वाले गलत व्यवहार को पहचान नहीं पाते, उनकी इसी नादानी का फायदा कुछ अपराधी प्रवृत्ति या संकीर्ण सोच के व्यक्ति उठाना चाहते हैं, ये लोग बच्चों को मजबूर करते हैं कि वे उन्हें उनकी इच्छा अनुसार उनके तरीके से छूए अथवा उनके साथ किसी प्रकार का शारीरिक संबंध स्थापित करें। ऐसे लोगों को रोकने एवं सजा देने हेतु भी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत प्रावधान किये गये हैं। हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हमारा ईरादा गलत ना हो पर यदि हमारे व्यवहार से बच्चे को तकलीफ महसूस हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए।

छोटे या कमजोर बच्चे को डराना, धमकाना व तंग करना

डर एक ऐसी अवस्था है जिसके उत्पन्न होने के साथ–साथ अवसाद, उत्तेजना, आक्रोश, कुण्ठा इत्यादि का अपने आप जन्म होता है और जब इनसे छोटा बच्चा ग्रसित होगा तो परिणाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई बार मजाक में या अपने आपको ताकतवर सिद्ध करने हेतु बड़े व्यक्तियों या बच्चों द्वारा छोटे बच्चों को डराया, धमकाया या तंग किया जाता है, पीड़ित बच्चा धीरे–धीरे अवसाद ग्रस्त होकर अपने आत्मविश्वास को खोता जाता है, कई बार परिस्थितियां इतनी गंभीर भी हो जाती है कि वर्षों तक पीड़ित बच्चा सामान्य नहीं हो पाता है।

Save the Children®

बलात्कार

बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक क्षति के साथ–साथ मानसिक रूप से भी क्षति पहुंचाता है और ऐसे में जब यह संज्ञेय अपराध बच्चों के साथ होता है तो वह ओर भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मानसिक एवं शारीरिक रूप से अविकसित बाल्यावस्था जिसमें बच्चों को शारीरिक संबंधों की जानकारी नहीं होती ना ही वे गलत करने वाले को रोक पाने की क्षमता रखते हैं, ऐसे में जब कोई व्यक्ति इस बात का फायदा उठाते हुए उनके साथ गलत करता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ चुप्पी ना रखते हुए किसी भरोसेमन्द व्यक्ति से बात करनी चाहिए और उनकी मदद से अपराधी को पुलिस को सौंपना चाहिए ताकि उन्हें सजा मिले एवं समाज में बच्चे महफूज रहें। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बच्चे का बलात्कार करता है या उसके निजी अंगों पर हमला करता है तो उसे 7 वर्ष से आजीवन जेल व जुर्माने की सजा होगी।

Save the Children

बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यरत मुख्य तंत्र :–

- पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति (अध्यक्ष–सरपंच, सचिव – पंचायत सचिव)
- ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति (अध्यक्ष–प्रधान, सचिव – विकास अधिकारी BDO)
- जिला बाल सरंक्षण इकाई (अध्यक्ष–जिला कलेक्टर)
- जिला बाल कल्याण समिति (जरुरतमंद व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यरत)
- जिला किशोर न्याय बोर्ड (कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए कार्यरत)
- विशेष किशोर पुलिस इकाई (बच्चों से जुड़े मामलों को देखने के लिए पुलिस की एक विशेष इकाई। पुलिस की मदद के लिए डायल करें –100)
- चाईल्ड लाइन (1098) (मुश्किल में फसें व जरुरतमंद बच्चों की सहायता के लिऐ एक निःशुल्क टेलीफोन सेवा)
- मानव तस्करी विरोधी इकाई (बच्चों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिऐ पुलिस की एक विशेष इकाई)
- राजस्थान राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग (बच्चों से जुड़े समस्त मामलों की सुनवाई व समाधान हेतु–0141–2713620)
- गरिमा हेल्प लाइन 7891091111(लडकियों व महिलाओं को छेड़छाड़ व यौन हिंसा मामलों में सहायता करने हेतु निःशुल्क फोन सेवा)

नोट

Save the Children®

नोट

नोट

Save the Children®

नोट